न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 114/2016

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
रतनाराम पुत्र भेरूराम जाति गुर्जर निवासी बीजाथल तहसील रियांबडी जिला नागौर।		तहसीलदार, रियांबडी।

उपस्थिति :–

1. श्री अशोक कुमार अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 27.12.17

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, रियांबडी द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 65/2015 सरकार बनाम रतनाराम में निर्णय दिनांक 30.12.15 के तहत मौजा बीजाथल के खसरा नं. 377 रकबा 0.16 हैक्ट. गै.मु. बाडा भूमि से बेदखली एवं शास्ति के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 20.07.2016 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 22.07.2016 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की गैर मौजूदगी में एक पक्षीय कार्यवाही का उसी दिन निर्णय पारित किया है। जिसकी जानकारी अपीलांट को पटवारी हल्का बीजाथल ने गांव मे चर्चा करने से दिनांक 29.6.16 को नकल आवेदन अपने वकील के मार्फत पेश किया जो नकल मिलने पर अपने वकील से प्राप्त की तथा घर गांव के लोगो से वकील नियुक्त करने एवं खर्चे के लिये पैसो की व्यवस्था की तथा नागौर आकर वकील नियुक्त किया और अपील पेश की गई है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नही किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील गलत गैर कानूनी व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा मौके पर भौतिक रूप से कब्जा लिखित में अपना होने से इन्कार करते हुए उत्तर दिया। फिर भी अप्रार्थी से किसी प्रकार के साक्ष्य या सबूत लेने का कोई अवसर दिया तथा पटवारी हल्का बीजाथल के बयानो से अपीलांट या उसके वकील द्वारा जिरह करने का कोई अवसर नही दिया। इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्वान्तों को अनदेखा करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील पारित किया है। जो अपास्त होने योग्य है।

{2}(III)–पटवारी हल्का बीजाथल ने मौके पर कांटो की बाड करते हुए अपीलांट को नही देखा न ही उसमे निवास करते हुए देखा तथा ऐसा कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष गवाह भी प्रस्तुत नही किया। जिससे यह साबित किया जा सके कि अपीलांट ने मौके पर खसरा नं. 377 में किसी प्रकार का अतिक्रमण कर कब्जा किया है। इस बाबत मौके के पडोसियों के बयान लिये जाने आवश्यक थे। आस पास कई बाडे बने हुए है एवं किसी के विरूद्व कोई शिकायत नही की है तथा अपीलांट को साक्ष्य का अवसर दिया जाता तो वो आस पास के पडोसियों को प्रस्तुत रास्ता एवं अपना कब्जा नही होना साबित करता। इस प्रकार राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी की मौका रिपोर्ट पर भी किसी मौतबिर के हस्ताक्षर नही है। न ही ग्राम सेवक सरपंच या पंच के ही हस्ताक्षर ऐसी मौका रिपोर्ट पर ही है। जिससे पटवारी व भू निरीक्षक की रिपोर्ट भी एक पक्षीय है एवं एक पक्षीय है एवं ऐसी अधूरी साक्ष्य पर किसी व्यक्ति को जेल भेजना सरासर अन्याय है।

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(IV)–पटवारी के बयान में जिरह नही होना, मौका रिपोर्ट पर किसी मौतबीरों का हस्ताक्षर नही होना, ग्राम सेवक सरपंच, या पंच के हस्ताक्षर मौका रिर्पोटों पर या उनके बयान न होना इस प्रकरण में अपीलांट के कब्जे बाबत भारी संदेह उत्पन्न करता है। ऐसी सूरत में संदेह का लाभ सदा ही अभियुक्त को ही मिलता है। यह कानून का मूलभूत सिद्वान्त है। जिसकी पूर्ण रूप से अधीनस्थ न्यायालय ने अवहेलना की है एवं सजा पारित करने से भारी भूल की है।

{2}(V)–मौके पर भूमि गै.मु. बाडा ही है एवं अपीलांट के पास कोई बाडा नही है। जिससे उसके पशुओं के बांधने एवं नीरने फूस चारा आदि डालने के लिये नियमन भी किया जा सकता है। मौके पर कोई नाडी, अंगोर या गोचर भी नही है। इस प्रकार राजकीय भूमि ग्रामीण भूमि होने को नियमित भी की जा सकती है। इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विचार नही किया। पटवारी ने द्वेषतावश अपीलांट के विरूद्व सरासर झूठी रिपोर्ट की है। जिस पर किसी भी सूरत में भरोसा नही किया जा सकता है।

{2}(VI)–वकील अपीलांट द्वारा यह भी बताया गया कि उनके द्वारा आराजी भूमि से अतिक्रमण हटा लिया है। जिस पर न्यायालय द्वारा मांगी गई मौका रिपोर्ट दिनांक 30.7.16 के अनुसार भी अतिक्रमण नही होने की पुष्टि होती है। इसलिये सजा माफ की जानी चाहिये।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा बीजाथल में स्थित गै. मु.बाडा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके बीजाथल के खसरा नंबर 377 रकबा 0.16 हैक्ट. गै.मु. बाडा भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाया गया है तथा आराजी भूमि राजकीय भूमि होना रेकर्ड से साबित है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है तथा अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित है तथा अब आराजी भूमि से अतिक्रमण हटा भी लिया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील के तहत बेदखली व जुर्माना पर हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परंतु सजा के बिन्दु नरम रूख अपनाया जाना उचित है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील के तहत बेदखली व जुर्माना का आदेश यथावत कायम रखा जाता है। सिविल कारावास की सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलांट ने आराजी भूमि से अतिक्रमण हटा लिया तथा भविष्य में अतिक्रमण नही करने के संबंध में इस आदेश जारी होने के 15 दिवस में अधीनस्थ न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा तथा अधीनस्थ न्यायालय स्वयं मौका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगें कि अपीलांट का भौतिक रूप से अतिक्रमण है अथवा नही। यदि भौतिक रूप से अतिक्रमण पाया जाता है तो सिविल कारावास की सजा यथावत कायम रहेगी।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर